संख्याः –निग / सारा(पथ)–01–वि0का0–05–92 / 2012.........................

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग।
सकारण आदेश

रांची, दिनांक :–

सी०बी०आई० द्वारा दर्ज काण्ड संख्या–RC–23 (A)/2009 (R) के प्राथमिकी अभियुक्त श्री मथुरा प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह को एकरारनामा संख्या–17F2/2003–04 के तहत कार्यान्वित बेलवाना–कोदाईबांध मोड़ से तिलकामारन–मनसाडीह पथ के निर्माण कार्य के संवेदक द्वारा समर्पित जाली बिटुमिन इनवायसेज के आधार पर भुगतान कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सख्या–6206 (एस) दिनांक–07.12.2009 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या–8148 (एस) दिनांक–07.12.2011 द्वारा इनके विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

(2) उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री मथुरा प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

(3) श्री मथुरा प्रसाद के **दिनांक–31.08.2012 को वार्धक्य सेवानिवृति** हो जाने के कारण संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उससे सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के आधार पर झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत दण्ड अधिरोपित किये जाने के बिन्दु पर जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित विभागीय पत्र संख्या–3823 (एस) दिनांक–12.04.2013 द्वारा श्री मथुरा प्रसाद, सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

(4) उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री मथुरा प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध **अधिसूचना सं0–7784 एस, दिनांक–29.08.2013** द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए इनके विरूद्ध उपर्युक्त सांस्थित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया गया था : –

(i) 25 प्रतिशत पेंशन पर रोक

(ii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु निलंबन अवधि पेंशन के लिए सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी।

(5) उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री मथुरा प्रसाद द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.-1883/2014 – मथुरा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–30.06.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया:–

"Para- 60. While considering the present case in the light of the aforesaid judgement this court finds no error, much less any mainifest error of law and procedure leading to any injustice to the petitioner. It is well settled that judicial review is an evaluation of the decision-making process, and not the merits of the decision itself. Judicial review seeks to ensure fairness in treatment and not fairness of conclusion. There is no allegation of any bias and no case has been made out alleging gross unreasonableness of outcome. There is no scope for reconsidering the materials produced before the enquiry officer and coming to a

having been decided **in favour of the Respondents** as aforesaid, there is no sc
for any interference **in the impugned order** and proceedings **under** Article 226 o
the Constitution of India. Accordingly, the present writ petition is dismissed."

(6) उक्त न्यायादेश के विरूद्ध श्री मथुरा प्रसाद द्वारा LPA No. 355/2022- मथुरा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दि0–15.10.2024 को **निम्न आदेश पारित किया गया**:–

*11. Therefore, while not interfering **with the order** of the learned Single Judge on other aspects, we deem it appropriate **to set aside** the order dt.29.8.2013 of the respondent no.2 and remit the matter to **the** 2nd respondents/disciplinary authority to look into the aspects indicated in para 9 supra.*

*The respondent no.2 shall issue **notice** to the appellant to make his submissions on the quantum of loss **aspect and also as to** whether and to what extent recovery of the pecuniary loss should **be made** from **the pension** payable to him. A personal hearing shall also be given to the appellant.*

*Thereafter, the **2nd respondent** shall pass a reasoned order in accordance with law and communicate it to the appellant.*

This exercise shall be completed in three months' time from today.

*If a determination is made by the 2nd respondent and it is found **that the recovery** affected from the pension of the appellant is **much more than the** pecuniary loss, the respondents shall refund the excess **recovery made with interest rate 6% per annum** from the date of recovery till the date of repayment to the appellant.*

*12. Accordingly the impugned order of **the learned single** Judge is set aside to the extent indicated as above and the Appeal is partly allowed as above. No costs."*

(7) LPA No. - 355/2022 मथुरा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दि0–15.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय सकारण आदेश सं0– 1564 एस, दिनांक– 17.04.2025 के द्वारा निम्न निर्णय संसूचित किया गया :–

(i) श्री प्रसाद के विरूद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित अधिसूचना सं0–7784 एस, दिनांक–29.08.2013 को विलोपित किया जाता है।

(ii) श्री मथुरा प्रसाद द्वारा बरती गई गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत उनके पेंशन से 15% राशि 10 वर्षों तक कटौती की जाती है।

(iii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परंतु निलंबन अवधि पेंशन के लिए सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी।

(8) सकारण आदेश सं0– 1564, दि0–17.04.2025 के आलोक में प्रधान महालेखाकार, रांची के पत्रांक–PR-5/2081526934/RREV/1600/2025-26/5756 दि0–26.06.2025 द्वारा दि0–01.09.2012 से दि0–31.08.2022 तक 85 प्रतिशत पेंशन एवं पत्रांक–PR-5/2081526934/RREV/1600/2025-26/6662 दि0–07.07.2025 द्वारा दि0–01.09.2022 से 100 प्रतिशत पेंशन भुगतान हेतु Pension revision order जारी किया गया है।

(9) LPA No. - 355/2022 मथुरा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दि0–15.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के बिन्दु पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर Cont(C) No. 299/2025 मथुरा प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–18.06.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

" 1. Since the order passed on 17.04.2025 by the 2nd respondent does not take into account the last portion of the order dt. 15.10.2024 in L.P.A. No. 355 of 2022 and since it cannot be disputed that the amount already recovered from the petitioner is much more than Rs. 5,39,701.25 [illegible] recovered in excess of the said amount

of Rs. 5,39,701.25 to the petitioner with interest @ 6% per annum as directed in the order dt. 15.10.2024 in L.P.A. No. 355 of 2022 within six weeks."

(10) LPA No. - 355/2022 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दि0–15.10.2024 को पारित न्यायादेश के सापेक्ष अवमाननावाद Cont.(C) No. 299/2025 में दिनांक–18.06.2025 एवं दिनांक–30.04.2026 (पृ0–1038/प0) को पारित न्यायादेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिये जाते हैः–

(i) अधिसूचना सं0–7784 एस, दि0– 29.08.2013 एवं सकारण आदेश सं0–1564, दि0–17.04.2025 के द्वारा श्री प्रसाद के पेंशन से क्रमशः 25% एवं 15% की कटौती से संबंधित अधिरोपित दंड को विलोपित किया जाता है।

(ii) श्री प्रसाद के सेवानिवृति उपरांत दिनांक–01.09.2012 से 100% पेंशन देय होगी। इस संदर्भ में पेंशन एरियर से सरकारी राजस्व की क्षति की राशि (रू0 21,58,805.00) की अनुपातिक राशि रू0 5,39,701.05/– की वसूली की जाएगी। सरकारी राजस्व की क्षति की अनुपातिक राशि की कटौती के उपरांत शेष पेंशन की बकाया अंतर राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(iii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परंतु निलंबन अवधि पेंशन के लिए सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी।

ह0/–

(सुनील कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : निग/सारा(पथ)–01–वि0का0–05–92/2012 2446(S) रांची, दिनांक : 16/06/2026

प्रतिलिपि :–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।